

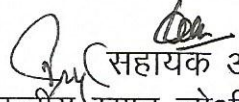
प्रतिवेदन

कार्य का नाम:— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कनालीछीना से ल्वांठी गांव तक मोटर मार्ग।

उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 823/।।। (2)/08-29 (प्रा0आ0)/07 देहरादून दिनांक 24.03.2008 द्वारा 3.000 किमी0 हेतु ₹84.00 लाख की प्राप्त है। मार्ग की चौड़ाई 9 मीटर में राज्य भूमि 1.25 हे0 नाप भूमि 1.08 हे0, वन पंचायत 0.495 हे0 एवं आरक्षित भूमि प्रभावित नहीं होती है।

उक्त मार्ग के निर्माण से निम्नलिखित ग्राम सिरौली एवं ल्वांठी की 1160 जन संख्या लाभान्वित होगी। मार्ग निर्माण हेतु दो समरेखनों पर विचार किया गया वैकल्पिक समरेखन उपर्युक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखन में प्रभावित होने वाली 1.62 हे0 वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखन है।

अतः प्रस्ताव वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।